## **<u>रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के इक्विटी निवेशकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न(एफएक्यू)</u>**

**प्र.1 इक्विटी शेयरों के लिए कंपनी का आईएसआईएन कोड क्या है?**

**उत्तरः** आईएनई020बी01018

**प्र.2 किस स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं तथा उनका ट्रेड किया जा रहा है?**

**उत्तरः** कंपनी के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ("एनएसई") और बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ("बीएसई) में सूचीबद्ध है तथा वहीं उनकी ट्रेडिंग की जा रही है और उनके संबंधित स्टॉक कोड आरईसीएलटीडी एवं 532955 हैं।

**प्र.3 कंपनी और इसके पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) के संपर्क का ब्योरा दें?**

**उत्तरः** कंपनी और इसके पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) के संपर्क का ब्योरा निम्नवत हैः-

**अनुपालन अधिकारी और लोक प्रवव्ता**

श्री जे.एस.अमिताभ

महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

दूरभाषः 91 11 24367305

फैक्सः 91 11 24362039

ई-मेलः jsamitabh@recl.nic.in

**पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट**

श्री एस.वी.राजु/श्री बालाजी रेड्डी एस

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

प्लॉट 17 से 24, विट्ठल राव नगर,

मधापुर, हैदराबाद - 500081, इंडिया,

दूरभाषः 91 40 44655134/44655141

फैक्सः 91 40 23420814

ई-मेलः raju.sv@karvy.com; balaji.reddy@karvy.com; einward.ris@karvy.com

वेबसाइटः www.karvy.com

**प्र.4 शेयरों के अंतरण की क्या प्रक्रिया है?**

- **उत्तरः** <u>प्रत्यक्ष रूप में धारित शेयरों के मामलें में,</u> कृपया अंतरिती विधिवत भरे एवं मुहर लगे हुए शेयर अंतरण फार्म के साथ मूल शेयर प्रमाणपत्र और पैन कार्ड की प्रति पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) को प्रस्तुत करे। शेयरों के अंतरण पर भुगतान किए जाने वाले स्टैम्प शुल्क की वर्तमान दर शेयरों के मूल्य के प्रत्येक सौ रुपए या उसके किसी अंश पर

25 पैसे है। इस प्रयोजनार्थ, शेयरों के मूल्य को अंतरण विलेख के निष्पादन की तारीख को स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की दर अथवा अनुबंधित रकम, दोनों में से जो भी अधिक हो, के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

- इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में, आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप शेयरों के अंतरण के लिए अपने निक्षेपगार भागीदार ("डीपी"), जिसके पास आपके डिमैट खाते का रखरखाव किया जा रहा है, से संपर्क करें।

**प्र.5 शेयरों के ट्रांसमिशन की क्या प्रक्रिया है?**

**उत्तरः**

- प्रत्यक्ष शेयरों के लिएः

संयुक्त धारक के मामले में या जहां एक नामिती पंजीकृत है, उत्तरजीवी शेयरधारकों को, मूल शेयर प्रमाणपत्र और मृत्यु प्रमाणपत्र की विधिवत नोटरीकृत प्रति के साथ अनुसमर्थित एक अनुरोध पत्र कंपनी या उसके पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। संयुक्त धारक या नामिती के न होने की स्थिति में, कानूनी उत्तराधिकारी को कंपनी या उसके पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आरटीए)के पास निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित हैः-

- औपचारिक अनुरोध पत्र
- विधिवत नोटरीकृत मृत्यु प्रमाणपत्र
- न्यायालय द्वारा जारी वसीयत/उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की विधिवत नोटरीकृत प्रति
- मूल शेयर प्रमाणपत्र
- कानूनी उत्तराधिकारियों के पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रतियां

- डिमैटिरियलाइज्ड शेयरों के लिएः

आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप शेयरों के अंतरण के लिए अपने निक्षेपगार भागीदार ("डीपी"), जिसके पास आपके डिमैट खाते का रखरखाव किया जा रहा है, से संपर्क करें।

**प्र.6 शेयरों के पक्षांतरण (ट्रांसपोजिशन) की क्या प्रक्रिया है?**

**उत्तरः** शेयरों के पक्षांतरण से तात्पर्य प्रत्यक्ष शेयर प्रमाणपत्रों पर नाम के क्रम में परिवर्तन करना है। इसके लिए, पंजीकृत शेयरधारक को मूल शेयर प्रमाणपत्रों के साथ कंपनी अथवा इसके पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) को एक आवेदन देना होगा।

**प्र.7 शेयरों के डिमैटिरियलाईजेशन की क्या प्रक्रिया है?**

**उत्तर** किसी भी निक्षेपगार भागीदार ("डीपी") के पास एक डिमैट खाता खोलें तथा उसके पास विधिवत भरे गये डिमैटिरियलाईजेशन अनुरोध प्रपत्र ("डीआरएफ") के साथ मूल शेयर प्रमाणपत्रों को जमा कर दें। आपका निक्षेपगार भागीदार ("डीपी") हमारे पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) को इस संबंध में अनुरोध पत्र भेजेगा। हमारा पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) दस्तावेजों की जांच करेगा तथा उनके सही क्रम में पाये जाने पर, डिमैटिरियलाईजेशन का अनुरोध अनुमोदित हो जाएगा तथा शेयरों को, तदनुसार, आपके

डिमैट खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। (डिमैट खाते में शेयरधारकों के नाम प्रत्यक्ष रूप से धारित शेयरों के अनुरूप होने चाहिए)।

**प्र.8 पते, बैंक ब्योरा, ई-मेल आईडी, नामांकन आदि जैसे ब्योरे में किस प्रकार परिवर्तन किया जाएगा?**

**उत्तरः**

- <u>प्रत्यक्ष शेयरों के लिएः</u>

पंजीकृत शेयरधारक(कों) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक औपचारिक अनुरोध पत्र, जिसमें नई/अद्यतन जानकारी दी गयी हो, को कंपनी या उसके पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) को भेजा जाएगा।

- डिमैटिरियलाइज्ड शेयरों के लिएः

निक्षेपगार भागीदार ("डीपी"), जिसके पास आपके डिमैट खाते का रखरखाव किया जा रहा है, को उपर्युक्त अनुसार एक औपचारिक अनुरोध पत्र भेजा जाएगा।

**प्र.9 एनईसीएस के माध्यम से किस प्रकार बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभांश सीधे प्राप्त किए जा सकते हैं तथा किस प्रकार सदस्यों के रजिस्टर में ई-मेल के पते को अद्यतन किया जा सकता है?**

**उत्तरः**

- <u>प्रत्यक्ष शेयरों के लिएः</u>

पंजीकृत शेयरधारक(कों) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक औपचारिक अनुरोध पत्र तथा बैंक के कैंसिल किए गए एक चैक की प्रति को कंपनी या उसके पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) को भेजा जाएगा।

- <u>डिमैटिरियलाइज्ड शेयरों के लिएः</u>

निक्षेपगार भागीदार ("डीपी"), जिसके पास आपके डिमैट खाते का रखरखाव किया जा रहा है, को उपर्युक्त अनुसार एक औपचारिक अनुरोध पत्र भेजा जाएगा।

- <u>सदस्यों के रजिस्टर में ई-मेल के पते को अद्यतन करने के लिएः</u>

कंपनी या उसके पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) को या निक्षेपगार भागीदार ("डीपी"), जिसके पास आपके डिमैट खाते का रखरखाव किया जा रहा है, को उपर्युक्त अनुसार एक औपचारिक अनुरोध पत्र भेजा जाएगा।

उपर्युक्त के संबंध में एक बिना भरा अनुरोध पत्र निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैः
http://www.recindia.nic.in/download/NECS_ECS_DC_Mandate_&_Email_Updation_Request_Form.pdf

**प्र.10 किसी शेयर प्रमाणपत्र के गुम हो जाने की स्थिति में किस प्रकार उसकी दूसरी प्रति को प्राप्त किया जा सकता है?**

**उत्तरः** किसी शेयर प्रमाणपत्र के गुम होने की स्थिति में उसकी दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए, कंपनी या उसके पंजीयक एवं अंतरण एजेंट को प्रस्तुत किए जाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित हैंः

- *शेयर प्रमाणपत्र के गुम होने की* एफआईआर रिपोर्ट की प्रति जो किसी नोटरी पब्लिक द्वारा अभिप्रमाणित हो अथवा एफआईआर की मूल प्रति *(जिसे सत्यापन उपरांत वापस कर दिया जाएगा)।*
- 100/- रुपए के गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर विधिवत निष्पादित एक क्षतिपूर्ति बंध-पत्र, जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित तथा नोटरीकृत हो।
- 20/- रुपए के गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर विधिवत निष्पादित एक शपथ-पत्र, जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित तथा नोटरीकृत हो।

**प्र.11 किसी लाभांश वारंट के गुम हो जाने की स्थिति में किस प्रकार उसकी दूसरी प्रति को प्राप्त किया जा सकता है?**

**उत्तरः** गुम हुए लाभांश वारंट की दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए, कंपनी या उसके पंजीयक एवं अंतरण एजेंट को एक औपचारिक अनुरोध पत्र और एक क्षतिपूर्ति बंध-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर, लाभांश वारंट की दूसरी प्रति को जारी किया जा सकता है। ऐसे अनुरोध की प्राप्ति पर कंपनी, उस लाभांश के भुगतान/भुगतान न किए जाने की स्थिति के संबंध में बैंकर से पूछताछ करेगी, तथा उसके भुगतान ने किए जाने की स्थिति में, शेयरधारक को लाभांश वारंट की दूसरी प्रति जारी की जाएगी।

वारंट की दूसरी प्रति को केवल गुम हुए वारंट की वैधता अवधि की समाप्ति उपरांत ही जारी किया जा सकता है। एक शेयरधारक उव्त वारंट पर भुगतान को रूकवाने के लिए कंपनी को अनुरोध पत्र दे सकता है।

**प्र.12 निवेशकों द्वारा विशेष रूप से शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायत निवारण प्रभाग/ अनुपालन अधिकारी की अभिहित ई-मेल आईडी क्या है?**

**उत्तरः** निवेशकों की शिकायत के लिए अभिहित ई-मेल आईडी complianceofficer@ recl.nic.inहै।